

दिनांक 01.06.2015 से प्रभावी निःशुल्क लेनदेनों से अधिक हेतु जारीकर्ता लेनदेनों(हमारे ग्राहक अन्य बैंकों के एटीएम की सेवाओं का उपयोग करने पर) निःशुल्क एटीएम लेनदेनों एवं सेवाओं प्रभारों की संख्या को युक्तिसंगत बनाना.

1. निःशुल्क लेनदेनों (वित्तीय एवं गैर-वित्तीय) की संख्या

	वर्तमान सीमाएं	संशोधित सीमाएं (प्रभावी: दिनांक 01.06.2015)
निर्धारित छः महानगरों (बेंगलूरु, चेन्नै, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, मुम्बई)	5 (पांच)	3(तीन)
अन्य केन्द्रों हेतु	5 (पांच)	5(पांच)

2. सेवा प्रभार (निर्धारित महानगरों के लिए 3 लेनदेनों से ऊपर एवं अन्य केन्द्रों के लिए 5 लेनदेन)

	वर्तमान सीमाएं	संशोधित सीमाएं (प्रभावी: दिनांक 01.06.2015)
वित्तीय लेनदेनों हेतु	रु.15+ सेवाकर जो भी लागू हो	रु. 20+सेवाकर जो भी लागू हो
गैर-वित्तीय लेनदेनों हेतु	रु.5+ सेवाकर जो भी लागू हो	रु.5+ सेवाकर जो भी लागू हो

\*\*\*\*\*सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के किसी एटीएम मशीनों पर सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के डेबिट कार्ड (एटीएम कार्ड) का उपयोग करने पर सेवा प्रभार नहीं प्रभारित होगा